राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2988/2015

अमर चन्द शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, कृषि निदेशालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सयुंक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन), राजस्थान, जयपुर।
3. सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार), सोजत पाली।
4. उप निदेशक, कृषि (विस्तार), पाली।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति 05.09.1961 को फिल्डमैन के पद पर हुई थी। उस पद पर अपीलार्थी ने दिनांक 06.09.1961 को कार्यग्रहण किया था। अपीलार्थी को 27 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने पर चयनित वेतनमान श्रृंखला 2000–3200 दिनांक 02.06.2001 के आदेश द्वारा दिनांक 25.01.1994 से प्रदान किया गया, जबकि अपीलार्थी दिनांक 25.01.1992 से 27 वर्ष की सेवा का चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकार रखता था। अपीलार्थी को गलत रूप से 27 वर्षीय सेवा पर चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 25.01.1992 के स्थान पर 25.01.1994 से दिया गया, जो विधि–विरूद्ध है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने दिनांक 06.09.1961 को सेवा में आया था और अपीलार्थी ने 27 वर्ष की सेवा दिनांक 05.09.1988 को पूरी कर ली थी। चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 25.01.1992 से लागू किया गया था। इसलिए अपीलार्थी दिनांक 25.01.1992 से 27 वर्षीय सेवा पर चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होता है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही में आदेश दिनांक 29.11.1990 के द्वारा दोषी पाते हुए 2 वर्षीय वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने की शास्ती दी गई थी। इस आधार पर अपीलार्थी को दिनांक 25.01.1992 से मिलने वाले 27 वर्षीय चयनित वेतनमान के लाभ को दो वर्ष आगे किये जाने पर दिनांक 25.01.1994 को प्रदान किया गया।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हमारे मत में अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ अपीलार्थी द्वारा 27 वर्षीय सेवा पूर्ण करने की दिनांक के पूर्व के 7 वर्षों के कार्य प्रतिपादन को दृष्टिगत रखते हुए प्रदान किया जाता है। अपीलार्थी ने 27 वर्ष का कार्यकाल 1988 में पूरा कर लिया था। अपीलार्थी को वर्ष 1988 के पश्चात दो वेतनवृद्धियां रोके जाने की शास्ती के आधार पर अपीलार्थी का चयनित वेतनमान का लाभ दो वर्ष आगे किया जा सकता है, जो कि 27 वर्ष 1988 में पूरे करने पर चयनित वेतनमान का लाभ आगे किये जाने पर वर्ष 1990 तक रोका जा सकता है। इस प्रकार अपीलार्थी दिनांक 25.01.1992 से 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अतः हम अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान के लाभ को दिनांक 25.01.1994 से दिया जाना उचित नहीं पाते हैं।

5. परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है एवं यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी को 27 वर्षीय सेवा पर चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 25.01.1992 से प्रदान किया जाये। अपीलार्थी का वेतन निर्धारण संशोधित करते हुए अपीलार्थी को एरियर की राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज के साथ प्रदान किया जाए।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)